फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री गंगाराम बनाम विपक्षी : श्री घासीलाल व अन्य

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 95/21

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 27.10.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार विपक्षीगण ने माननीय न्यायालय में एक वाद वास्ते कृषि भूमि के विभाजन का उनवान घासीलाल बनाम उंकार व अन्य का पेश किया जिसके प्रकरण संख्या 56/16 रे. वाद होकर उक्त वाद का हम प्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश किया गया एवं जवाब दावे के साथ अन्तर्गत धारा 88, 188, 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत काउन्टर क्लेम पेश किया जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। यह कि परिशिष्ट (क) की आ.न. 1855 श.न. 1856 किता 1 रकबा 5 बिघा 8 बिस्वा स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में विपक्षीगण का 18/54 हिस्सा, उंकार का 1/3 एवं हक प्रार्थीगण का 1/3 हिस्से से अंकित है। परिशिष्ट (ख) की आ.न. 1852 किता 1 रकबा 5 बिघा 15 बिस्वा स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में विपक्षीगण के नाम 7/15 हिस्से से एवं विपक्षी घासीलाल के नाम 1/5 हिस्से से एवं प्रार्थीगणो के नाम 1/3 हिस्से से अंकित है। परिशिष्ट (ग) की आ.न. 1854, 1857, 1858 रकबा 2 बिघा 8 बिस्वा स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में विपक्षीगण के नाम 1/3 हिस्से से एवं उंकार के नाम 1/3 हिस्से एवं प्रार्थीगणों के नाम 1/3 हिस्से से अंकित है। आ.न. 1857 आ.चा. के दक्षिणी दिशा में कुंआ स्थित है जिसमें प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा, विपक्षीगण का 1/3 हिस्सा एवं उंकार लाल का 1/3 हिस्सा है जो राजस्व रेकर्ड में भी दर्ज है इस कुंए पर जाने का रास्ता 15 फीट चौडा सदीप से यानी गत 80 वर्षा से भी ज्यादा समय से पूर्व से पश्चिम दिशा से होते हुए आ.न. 1858 की दक्षिणी पाली पर स्थित है जो धारता से भीण्डर जाने वाले मुख्य सडक मार्ग पर मिलता है मौके पर उक्त रास्ता आज कायम है और पक्षकार उक्त रास्ते का आने–जाने, बैलगाडी, सामान, ट्रेक्टर आदि जाने ले जाने के लिये काम में लेते चले आ रहे है। यह कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि का प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण व उंकार के मोरूसों के मध्य 80 वर्ष पूर्व काश्त की सुविधा के लिये काउण्टर क्लेम के साथ नजरी नक्शे के अनुसार पांती कर रखी है जिसके अनुसार पक्षकारान काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है जिसमें

प्रार्थीगण अपने हक हिस्से कब्जे में आई भूमि पर काबिज होकर प्रार्थीगण ने अपने
हिस्से में आई भूमि पर काफी अर्थ एवं श्रम खर्च कर भूमि आवादान की एवं आराजी
1858 रोड के सटमा स्थित होने से विपक्षीगणों के मन में लालच आ जाने से विपक्षी
द्वारा प्रार्थीगणों की उक्त कब्जे काश्त की आराजी में एकल कब्जा करने एवं
आराजी के दक्षिण दिशा में स्थित पूर्व से पश्चिम दिशा कुंए पर जाने हेतु कायम रा
की भूमि में अतिक्रमण करने की बदनियती से दिनांक 30.10.2015 को विपक्षीगणो
प्रार्थीगण के 1/3 हिस्से एवं उंकार के 1/3 हिस्से की कब्जे काश्त की भूमि
पालियों को हांकने का असफल प्रयास किया। प्रार्थनाग्रस्त आराजी न. 1858 के दक्षि
दिशा में स्थित पूर्व पश्चिम रास्ते की भूमि में प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा विपक्षीगण
1/3 हिस्सा एवं उंकार का 1/3 हिस्सा हक अधिकार स्वत्व, हित आधिपत्य है लेकि
विपक्षीगण हम प्रार्थीगणों के हक व अधिकारों को चुनौति दे रहे है जिससे विपक्षीग
को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा जवाब पेश कर बताया कि प्रार्थीगण को
रास्ता जो रेकर्ड में दर्ज है उसी रास्ते से होकर अपने खेतो में प्रवेश करते है और अब
नये सिरे से रास्ता कायम करना चाहते है जो गलत है दिनांक 31.10.2015 को
विपक्षीगण द्वारा कोई पालिया नहीं हांकी गयी है और ना ही कोई मौतबिरान से कोई
समझाईश की। आराजी न. 1858 में कोई सामलाती रास्ता नहीं है बल्कि आ.चा 1857
कुआ है उस पर आने जाने का रास्ता पश्चिम दिशा की तरफ से है जो राजस्व रेकर्ड
में अंकित है और इसी रास्ते का उपयोग विपक्षीगण एवं प्रार्थीगण करते चले आ रहे है।
विपक्षीगण की भूमि सडक के पास आ जाने से प्रार्थीगण के मन में बदयान्ति आ जाने
से प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश किया है प्रार्थनाग्रस्त भूमि का मौके पर भौतिक से
बंटवाडा कर रखा है जो प्रार्थीगण संयुक्त कब्जा बता रहे है वह मनगढंत तथ्य अंकित
किये गये है। यह कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि के मूल पुरूष उदा जी थे और संवत् 2004 जेठ
सुदी 3 को भाई माणा, भाई दला वल्द रूपा रेगर व भेरा भाई, लालु भाई, टेका भाई के
मध्य आपसी लिखापढी से समस्त कृषि भूमि की पांती कर ली ओर अलग–अलग
काबिज हुए तब से अलग अलग काबिज है लेकिन राजस्व रेकर्ड में संयुक्त खातेदारी में
अंकित होने से विपक्षीगण माननीय न्यायालय हक हिस्से कब्जे अनुसार विभाजन कराने
के लिए जो प्रार्थना पत्र किया है वो सही है। प्रार्थीगण ने नजरी नक्शा पेश किया
जिससे लाल रंग से रास्त बताया है जो गलत है वहां पर मौके पर कोई रास्त नहीं है
बल्कि उक्त भूमि विपक्षीगण के कब्जे की है। हम विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थीगण किसी
प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी नहीं है क्योकि हम विपक्षीगण
खातेदार काश्तकार है और हमारे हक हिस्से कब्जे में आयी भूमि के विभाजन का दावा
हमने सही किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण

खातेदार है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि का कानूनी रूप से विभाजन नहीं हुआ है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे आराजी न 1857 आ.चा. पर आने जाने हेतु आराजी न 1858 की दक्षिणी पाली पर 15 फीट चौडा रास्ता होना बताया है। साथ ही कथन किया कि आराजी न 1858 रोड के सटमा होने से विपक्षीगण उक्त आराजी पर एकत्व कब्जा करना चाहते है जबकि विपक्षीगण द्वारा अपने जवाब मे उक्त कथन का खण्डन करते हुये कथन किया कि आराजी न 1858 मे कोई सामलाती रास्ता नही है बल्कि आराजी न 1857 आ.चा. पर जाने का रास्ता पश्चिम दिशा की तरफ से है। आराजी न 1858 मे रास्ता है या नही ? उक्त बिन्दु को मूल वाद मे साक्ष्य सबुत के आधार पर ही तय किया जा सकता है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण खातेदार है जिससे प्रार्थनाग्रस्त भूमि में उभय पक्ष का हित निहित है। अतः प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किया जाता है। प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुंविधा संतुलन का बिन्दु भी उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। अन्य बिन्दुओं को मूल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर तय किया जायेगा। उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2068–71 की परिशिष्ट (क) की आ.न. 1855 श.न. 1856 किता 1 रकबा 5 बिघा 8 बिस्वा भूमि, परिशिष्ट (ख) की आ.न. 1852 किता 1 रकबा 5 बिघा 15 बिस्वा भूमि व परिशिष्ट (ग) की आ.न. 1854, 1857, 1858 रकबा 2 बिघा 8 बिस्वा भूमि में भू प्रबंधन के बाद बने नये नम्बरान के आधार पर उभय पक्षकारान काउन्टर वाद के निस्तारण होने तक मौके की यथास्थिति बनाए रखें, दखलअंदाजी नहीं करें।। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो

निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।